राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः मुसप्र / 2020 / 1042 दिनांक :– 05/01/2021।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम / द्वितीय / तृतीय– जयपुर
उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम / द्वितीय–जोधपुर
उप आवासन आयुक्त, वृत्त–अलवर / बीकानेर / उदयपुर / कोटा
समस्त आवासीय अभियन्ता ....
राजस्थान आवासन मण्डल, ...

विषयः–मण्डल की RERA में पंजीकृत योजनाओं में निस्तारणीय सम्पत्तियों (आवासीय / व्यावसायिक) के समाचार पत्र (या अन्य किसी माध्यम से) में प्रकाशित करवाये जाने वाले विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण क्रमांक व रेरा वेबसाईट का समावेश करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11(2) में प्रावधान किया है कि संप्रवर्तक द्वारा जारी या प्रकाशित विज्ञापन या प्रोस्पेक्टस में प्राधिकरण (**RERA**) की वेबसाईट पते का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा। जिसमें पंजीकरण योजना का पूर्ण विवरण दर्ज किया जायेगा तथा प्राधिकरण से प्राप्त पंजीकरण संख्या भी शामिल होगी। यदि संप्रवर्तक द्वारा अधिनियम की धारा 11(2) में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है एवं प्रकाशित कराये गये विज्ञापन में पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता है, तो वह अधिनियम की धारा 61 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत तक शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

अतः मण्डल द्वारा निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों के विवरण के प्रारूप में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर उसमें रेरा पंजीकरण क्रमांक व वेबसाईट का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो रेरा अधिनियम के तहत आरोपित की जाने वाली शास्ती के लिए सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नोटः– रेरा अधिनियम से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकरी रेरा की वेबसाईट www.rera.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीया,

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/Letter

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत–.............................., रा0आ0म0, ...
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................... रा0आ0म0, ...
10. आवासीय अभियन्ता, रेरा, राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
13. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र।
14. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु.)

D/DRB/Letter